


आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
10/01/2022	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</u></p> <p style="text-align: center;">राँची सर्वे अपील 11/2018 पार्वती देवी बनाम धनपत साहू एवं अन्य <u>आदेश</u></p> <p>प्रश्नगत अपील आवेदन बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची द्वारा वाद संख्या-02/2017 (लापुंग) में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। उक्त आदेश में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के वाद संख्या-32/14 में पारित आदेश को निरस्त किया गया था।</p> <p>आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक-30.09.1989 को क्रय किया गया, जिसके पश्चात् विधिवत् नामांतरण कराते हुये प्रश्नकाल भूमि के दखलकार है। उक्त क्रम में सर्वे के दौरान प्लॉट नम्बर-984/1018, खाता नम्बर-41/01 के 14 डिसमिल भूमि का बंदा पर्चा उनके नाम से दर्ज हुआ। विपक्षियों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर 1993 में क्रय किये जाने का दावा किया गया, जिसके आधार पर बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा स्थल जाँच एवं दखल के आधार पर आदेश पारित किया गया था जिसे बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया।</p> <p>विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि मंझियस मालिक के रूप में बसंत कुमार बनर्जी के नाम से दर्ज थी, जिनके मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस रीता रॉय एवं शक्ति कुमार बनर्जी द्वारा प्रश्नगत भूमि कुल रकबा-2.74 एकड़ विपक्षी के पिता के साथ बिक्री की गयी। आवेदकों के द्वारा कथित रूप से Power of Attorney से प्रश्नगत भूमि क्रय की गयी है किन्तु उक्त पावर में भूमि की विवरणी दर्ज नहीं है। अतः आवेदकों का प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा मान्य नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत वाद में अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा दिये गये Power of Attorney के क्रमांक-446/985 के आधार पर कुंज बिहारी गंडू द्वारा आवेदकों को कुल-06 प्लॉट में अवस्थित 0.82 एकड़ की भूमि बिक्री की गयी है, जिसके दाखिल खारिज होने के पश्चात् लगान निर्धारण किया जा चुका है जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा 3.39 एकड़ भूमि की बिक्री की गयी है, जिसका निबंधन कोलकाता में किया गया है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि</p>	



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>का स्थल जाँच कराया गया, जिसमें उभय पक्षों के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि खेसरा नम्बर-984/1081 में श्रीमती पार्वती देवी का दखल था। इसी आधार पर विपक्षी के दावे को अमान्य करते हुये बंदा पर्चा के इन्द्राज को कायम रखा गया। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आवेदकों के निबंधन को Power of Attorney के किये जाने का आधार पर विपक्षी के दावे को मान्य किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी को उभय पक्षों के बिक्री केवाला के उचित होने के बिन्दु पर निर्णय करने का कोई आधार नहीं था। निबंधित Power of Attorney द्वारा भूमि की बिक्री 1989 में किये जाने के पश्चात् उक्त कागजातों को रद्द किये बगैर पुनः मूल रैयत द्वारा प्रश्नगत् भूमि की बिक्री 1993 में की गयी। विपक्षियों के द्वारा उक्त Power of Attorney अथवा किये गये बिक्री केवाला को रद्द करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। सर्वे के दौरान भूमि पर दखल सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जो स्पष्टतः आवेदकों के पक्ष में है। मात्र निबंधित केवाला के होने से विपक्षियों को प्रश्नगत् भूमि पर दखल नहीं मानी जा सकती। यह भी विचारणीय है कि मूल रैयत के वारिसों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि का निबंधन कोलकाता में किया गया है, जिसे यह संदेह उत्पन्न होता है कि उनके पास भूमि की बिक्री करते समय दखल नहीं थी। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् दखल के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। विपक्षियों का दावा मात्र उनके निबंधित केवाला पर आधारित है। उन्हें सक्षम न्यायालय से अपना स्वतः निर्धारण हेतु वाद दायर करना चाहिए। अतः बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है तथा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप सर्वे इंदराज कायम रखने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>(Signature)</i> आयुक्त 10/11/22</p> <p><i>(Signature)</i> आयुक्त 10/11/22</p>	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

का स्थल जाँच कराया गया, जिसमें उभय पक्षों के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि खेसरा नम्बर-984/1081 में श्रीमती पार्वती देवी का दखल था। इसी आधार पर विपक्षी के दावे को अमान्य करते हुये बंदा पर्चा के इन्द्राज को कायम रखा गया। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आवेदकों के निबंधन को Power of Attorney के किये जाने का आधार पर विपक्षी के दावे को मान्य किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी को उभय पक्षों के बिक्री केवाला के उचित होने के बिन्दु पर निर्णय करने का कोई आधार नहीं था। निबंधित Power of Attorney द्वारा भूमि की बिक्री 1989 में किये जाने के पश्चात् उक्त कागजातों को रद्द किये बगैर पुनः मूल रैयत द्वारा प्रश्नगत् भूमि की बिक्री 1993 में की गयी। विपक्षियों के द्वारा उक्त Power of Attorney अथवा किये गये बिक्री केवाला को रद्द करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। सर्वे के दौरान भूमि पर दखल सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जो स्पष्टतः आवेदकों के पक्ष में है। मात्र निबंधित केवाला के होने से विपक्षियों को प्रश्नगत् भूमि पर दखल नहीं मानी जा सकती। यह भी विचारणीय है कि मूल रैयत के वारिसों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि का निबंधन कोलकाता में किया गया है, जिसे यह संदेह उत्पन्न होता है कि उनके पास भूमि की बिक्री करते समय दखल नहीं थी। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् दखल के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। विपक्षियों का दावा मात्र उनके निबंधित केवाला पर आधारित है। उन्हें सक्षम न्यायालय से अपना स्वतः निर्धारण हेतु वाद दायर करना चाहिए। अतः बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है तथा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप सर्वे इंदराज कायम रखने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त 10/11/22

आयुक्त